



2026:AHC:165726

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26613 वर्ष 2026

धर्मद्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : राकेश कुमार मिश्रा
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा तथा राज्य-विपक्षीगण की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से अपराध संख्या 41 वर्ष 2019, धारा 323, 346, 366, 376, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, थाना केमरी, जनपद रामपुर में पंजीकृत मामले में, विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.2.2020 के आदेश के माध्यम से आवेदक को जमानत प्रदान की गई थी, हालाँकि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण दिनांक 7.12.2024 को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक अपनी आजीविका कमाने के लिए हिमाचल चला गया था और आवेदक तथा उसके अधिवक्ता के बीच संपर्क के अभाव के कारण वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और वह 2.6.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित रहने के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.2.2020 के आदेश के माध्यम से आवेदक को जमानत प्रदान की गई थी, हालाँकि विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण दिनांक 7.12.2024 को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। आवेदक को गिरफ्तार किया गया है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक- **धर्मेन्द्र**, जो उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

(iii) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा : (i) मामले की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 351 के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने हेतु निर्धारित तिथियों पर।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, तब साक्ष्य दर्ज किए जाने हेतु निर्धारित तिथियों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति **संबंधित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

अभिषेक

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।